कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण, कोरबा

(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)
ई-मेल : cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक /329/ श.वि.अ. / 2015 कोरबा, दिनांक 29/08/2015

रूचि की अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियों को सम्पादित करने बावत् पंजीकृत शासकीय/अशाकीय संस्थानों/संगठनों से दिनांक 05/09/2015 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

योजनान्तर्गत उक्त कार्यों को करने के इच्छुक संस्थान/संगठन नियत तिथि तक अपना आवेदन एवं समस्त जानकारी यथा पंजीयन, कार्यानुभव विवरण सहित कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) कोरबा में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं। संस्थान/संगठन के चयन बावत् नियम एवं शर्तें नगर पालिक निगम कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in तथा कार्यालय कलेक्टर कोरबा के वेबसाइट www.korba.ogv.in पर देखा जा सकता है। नियत तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।

सिटी परियोजना अधिकारी
(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक /330/ श.वि.अ. / 2015 कोरबा, दिनांक 29/08/2015

प्रतिलिपि:--

1. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय कलेक्टर प्रथम तल, कोरबा की ओर सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जनसंपर्क सहायक, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) कोरबा की ओर वेबसाइट में अपलोड हेतु।

सिटी परियोजना अधिकारी
(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कोरबा (छ.ग.)

नियम एवं शर्तें

1. शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण संबंधी कार्यक्रम अन्तर्गत कोरबा शहर के समस्त वार्डों में अपनी आजीविका संचालन हेतु ठेले खोमचे में समान रखकर विक्रय कर रहे ऐसे व्यक्तियों का सर्वे किया जाना है।
2. शहरी पथ विक्रेताओं की श्रेणी में वे समस्त ठेले खोमचे के व्यक्ति शामिल होगें जिनकी दुकानें टीना–टपरा एवं अस्थाई दुकान है तथा घूम घूमकर कोई भी तरह के सामग्री का विक्रय करते हों।
3. पक्के दुकानों एवं स्थाई दुकानों को शहर पथ विक्रेता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता हैं।
4. शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण संबंधी कार्यक्रम में पंजीकृत शासकीय/अशासकीय संस्थानों/संगठनों के माध्यम से सर्वे कराया जाना है।
5. सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।
6. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में हितग्राहियों की समस्त जानकारियों की प्रविष्टी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
7. सर्वेक्षण कार्य के देयक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार एवं समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती कर की जावेगी।

राष्ट्रीय वेन्डर्स अधिनियम, 2014 की धारा 3 (1) के अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित प्रारूप शहरी पथ विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का प्रारूप

क्र.	पथ विक्रेताओं का विवरणिका	विवरण मापदण्ड	टिक हेतु स्थान
1	वेंडर (पथ विक्रेता) का पूरा नाम		
2	पिता/पति का नाम		
3	उम्र (कृपया टीक करें)	18 वर्ष से कम	
		18 से 30 वर्ष	
		30 से 45 वर्ष	
		45 वर्ष से अधिक	
4	शिक्षा	कक्षा 5 वीं या उससे नीचे	
		कक्षा 5 वीं से कक्षा 12 वीं तक	
		कक्षा 12 वीं से ऊपर	
5	शहर में निवास की जगह	स्थान:	
		वार्ड:	
6	निवास एवं कार्यस्थल के बीच की दूरी	1 कि.मी. से कम	
		1 से 2 कि.मी.	
		2 से 5 कि.मी.	
		5 कि.मी. से अधिक	
7	मोबाईल नम्बर		
8	क्या आवासीय इकाई स्वयं की है या किराये की	स्वामित्व	
		किराये की	
9	व्यावसायिक गतिविधि	खाद्य/(कोई भी खाद्य सामग्री)	
		सब्जी/फल	
		कपड़े	
		सजावटी सामाग्री	
		जूता, चप्पल	
		यात्रा सामाग्री	
		मनिहारी	
		कोई अन्य	
10	कितने वर्ष से वेंडिंग कर रहें हैं ?	1 वर्ष से कम	
		1 से 3 वर्ष	
		3 से 5 वर्ष	
		5 वर्ष से अधिक	
11	क्या परिवार का कोई सदस्य भी वेंडर है ?	हाँ	
		नहीं	
12	क्या कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? (यदि हां तो विवरण दें)	हाँ	
		नहीं	
13	वेंडर की किस श्रेणी में आतें हैं?	मोबाईल वेंडर	
		स्थिर वेंडर	
14	यदि मोबाईल वेंडर हो तो फेरी का सामान्य मार्ग बतायें	सर्कल:	
		वार्ड:	
15	यदि स्थिर वेंडर हो तो कार्यस्थल बतायें	स्थल:	
		वार्ड:	
16	कार्यस्थल की स्थिति	स्वामित्व	
		किराये पर	
		सार्वजनिक जगह	

17	मौसमी वेंडर है या निरंतर	मौसमी	
		निरंतर	
18	क्या वह पूरा दिन व्यापार करता है या दिन के कुछ समय में ही (यदि कुछ समय तो, कार्यावधि स्पष्ट करें	पूरा दिन	
		कुछ समय	
19	औसतन आय (राशि में) लगभग कितना?	प्रतिदिन (रूपये)	
		प्रतिमाह (रूपये)	
		प्रतिवर्ष (रूपये)	
20	क्या उसका बैंक में बचत खाता है ?	हां	
		नहीं	
21	यदि बचत खाता है तो खाता क्रमांक		
	बैंक का पूरा नाम		
	बैंक शाखा (ब्रांच) का नाम		
	आई.एफ.एस. कोड संख्या		
22	क्या उसका कोई बैंक में ऋण है?	हां	
		नहीं	
23	क्या उसने किसी से पैसे उधार लिये हैं?	हां	
		नहीं	
24	क्या वह बी.पी.एल. श्रेणी में पंजीकृत है या अन्य कोई योजना में है?	हां	
		नहीं	
	(यदि हां तो, पंजीयन की विस्तृत जानकारी दें)		
25	श्रेणी / वर्ग	अनुसूचित जाति	
		अनुसूचित जनजाति	
		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		सामान्य	
26	क्या वह विकलांग की श्रेणी में है?	हां	
		नहीं	
	यदि हां तो, प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न करें		
27	क्या वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में है?	हां	
		नहीं	
	यदि हां तो, निम्न में से किस श्रेणी का है (मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध) लिखें।		
28	प्रमुख आवश्यकताएँ क्या है? (अत्यावश्यकता के अनुसार 1 से 7 तक नंबर दें सबसे जरूरी =1)	कौशल प्रशिक्षण	
		वित्त पोषण की व्यवस्था	
		क्रेडिट लिंकेज	
		पर्याप्त जगह	
		विशेष प्रकार का अधिकार	
		पेयजल / प्रसाधन	
		आवासीय इकाई	

(नोटः— इस फार्म के साथ वेंडर का बैंक पासबुक की फोटोकापी, एक आई.डी. प्रूफ की फोटोकापी दो रंगीन पासपोर्ट फोटो एवं एड्रेस प्रूफ की फोटोकापी संलग्न कर इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।)

सर्वेक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

वेंडर का हस्ताक्षर / अंगूठा निशान